दिनांक 17.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 37/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना साइबर क्राइम

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 17.01.2026 को थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भूड चौराहा के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–ईशुफ खान 2–वहाब आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ईशुफ खान निवासी ई–275 सी न्यू अशोक नगर वसुंधरा एन्कलेव थाना न्यू अशोक नगर पूर्वी, दिल्ली मूल निवासी अहमदनगर थरैसा थाना बनियाठेर जनपद सम्भल।
2–वहाब आलम निवासी हरौला सेक्टर–06 नोएडा थाना फेस–01 गौतमबुद्धनगर मूल निवासी फुलवारी शरीफ भदौनी वार्ड थाना अवादा टाउन नवादा, बिहार।

बरामदगी

1–02 मोबाइल फोन।

जनपद बुलन्दशहर/थाना बीबीनगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 20 हजार 500 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 16/17.01.2026 की रात्रि थाना बीबीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम खैरपुर बंबा पटरी से 03 अभियुक्तों 1–रिजवान 2–नईम 3–शेर मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 20 हजार 500 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बीबीनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण व रूपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त नईम के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़ व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिजवान निवासी गली नं0–08 मजिदपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़।

2–नईम निवासी पुरानी चुंगी ईदगाह रोड गली नंम्बर–04 थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़।

3–शेर मोहम्मद निवासी गली नं0–05 मजिदपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—चोरी के 20 हजार 500 रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन।

4—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

5—02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि।

<u>जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली देहात</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **28 किलो 135 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद**

दिनॉकः 16.01.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छितपुर मोड़ बरकछा के पास से 02 अभियुक्तों 1—भूपेन्द्र 2—रामचरन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 28 किलो 135 ग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—भूपेन्द्र निवासी अमोघ थाना पवारा जनपद जौनपुर।

2—रामचरन निवासी भाटी खुर्द थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1—28 किलो 135 ग्राम अवैध गांजा।

2—02 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार आदि।

जनपद देवरिया/थाना भटनी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख 87 हजार 200 रूपये कीमत की 26 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद**

दिनॉकः 17.01.2026 को थाना भटनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त रंजन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख 87 हजार 200 रूपये कीमत की 26 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना भटनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रंजन कुमार निवासी चोरमा थाना पकड़ी दयाल जनपद पूर्वी चम्पारन, बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 01 लाख 87 हजार 200 रूपये कीमत की 26 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

- **जनपद रामपुर/थाना सिविल लाइन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 40–40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना सिविल लाईन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/325/34 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–सतवीर 2–सद्दाम को आजीवन कारावास व 40–40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मुरादनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना मुरादनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/377 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त महाजन को आजीवन कारावास व 01 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 17.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 38/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 एवं सचिव (गृह), उ0प्र0 शासन द्वारा माघ मेला प्रयागराज का भ्रमण/निरीक्षण किया गया।

श्री अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश एवं **श्री मोहित गुप्ता** सचिव (गृह) उ0प्र0 शासन द्वारा आज दिनांक 17.01.2026 को मेला प्रयागराज में कैम्प कर पुनः माघ मेला प्रयागराज का भ्रमण/निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था एवं सचिव (गृह) उ0प्र0 शासन द्वारा मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, महिला सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा पुलिस बल की तैनाती का गहन अवलोकन किया गया। इस क्रम में संगम नोज से बोट के माध्यम से त्रिवेणी संगम घाट, अरैल घाट, झूसी घाट, किला घाट सहित विभिन्न प्रमुख घाटों एवं आईसीसीसी (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात हनुमान मंदिर, काली सड़क, काली घाट, पान्टून पुल, एरावत घाट, टीकर माफी, नगवासुकी तथा फाफामऊ क्षेत्रों एवं मेला क्षेत्र से श्रद्धालुओं के निकासी मार्ग का भी निरीक्षण किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुचारु आवागमन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। मेला क्षेत्र से श्रद्धालुओं के निकासी मार्गों को और अधिक सुगम बनाए रखते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कहीं भी किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। साथ ही मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साइबर जागरूकता, खोया–पाया केंद्रों तथा सूचना तंत्र को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए जाने हेतु भी आवश्यक निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें कर्तव्यनिष्ठा, शालीन व्यवहार एवं पूर्ण सतर्कता के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रेरित किया गया।

192

112
किसी भी आपात स्थिति में 112

UP ATS
UP ATS
SPOT
Special Police
Operations Team
SEALEGS